

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 121/2016

अनवान :

1. मंथरादेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चतरसिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. संजना जोजा रामलाल जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. ज्ञानीदेवी पुत्री घोघा देवी जाति जाट निवासी हाल अलखपुरा तहसील व जिला हिसार।
6. शांतिदेवी पुत्र घोघा देवी जाति जाट निवासी हाल अलखपुरा तहसील व जिला हिसार।
7. प्रताप सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
8. योगेश पुत्र रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. सुनील पुत्र रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
10. सुश्रीयोगिता पुत्री रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण



दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादीगण

निर्णय

दिनांक : 07.02.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 बीएचडी के वर्तमान खाता सं० 33/34 के मु०नं० 5 के किला नं० 21 व मु०नं० 6 के किला नं० 18 से 25 व मु०नं० 7 के किला नं० 16, 17, 24, 25 मु०नं० 10 के किला नं० 5, 6 मु०नं० 11 के किला नं० 1 से 10, 14, 15 मु०नं० 12 के किला नं० 1, 10, 11 के कुल 7.5900 है० जिसमें नहरी 7.5150 है० व गैर मुमकिन खाला 0.0750 है० में वादिया सं० 1 का 60 हिस्सा वादी सं० 2 का 100 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 1 शिवलाल का 80 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 रामलाल 20 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 3 विनोद कुमार 60 हिस्सा व प्रतिवादी 4 संजना 106 हिस्सा व घोघादेवी पत्नी बीरबल राम के नाम 120 हिस्सा दर्ज है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से

35 संलग्न वाद है घोघादेवी पत्नि बीरबल का देहान्त हो चुका है जिसके 2 पुत्र प्रतिवादी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सं० 2 रामकुमार व प्रतिवादी सं० 7 प्रतापसिंह उर्फ रामप्रताप व तीन पुत्रियां प्रतिवादी सं० 5, 6 ज्ञानी व शांति व मृतक रामपति है रामपति का भी देहान्त हो चुका है। रामपति के तीन विधिक प्रतिनिधि है जो प्रतिवादी सं० 2 व 5 से 7 प्रत्येक 24-24 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 8 से 10 संयुक्त रूप से सम्भाग ब०हि०ब० 24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अतः : मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :-

1. मंथरादेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 6 के किला नं० 18, 19, 20 किता 3 रकबा 0.759 है० नहरी
2. चतरसिंह वल्द बीरबलराम कौम जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 6 के किला नं० 21, 22, 23 की 0.759 है० मु०नं० 11 के किला नं० 2 व 3 की 0.506 है० कुल किता 5 की 1.265 है० नहरी
3. घोघा पत्नि बीरबलराम 120 हिस्सा विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप 60 हिस्सा रामकुमार वल्द बीरबलराम 20 हिस्सा कौम जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 7 के किला नं० 16, 17 की 0.506 है० किला नं० 24 व 25 की 0.506 है० मु०नं० 10 के किला नं० 5 व 6 की 0.506 है० मु०नं० 11 के किला नं० 1 की 0.253 है० किला नं० 8 ता 10 की 0.759 है० कुल किता 10 रकबा 2.530 है० नहरी

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.19... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.



प्रकरण सं० : 121/2016

अनवान :

1. मंथरादेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चतरसिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण


बनाम

1. शिवलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. संजना जोजा रामलाल जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. ज्ञानीदेवी पुत्री घोघा देवी जाति जाट निवासी हाल अलखपुरा तहसील व जिला हिसार।
6. शांतिदेवी पुत्र घोघा देवी जाति जाट निवासी हाल अलखपुरा तहसील व जिला हिसार।
7. प्रताप सिंह उर्फ रामप्रताप पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
8. योगेश पुत्र रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. सुनील पुत्र रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
10. सुश्रीयोगिता पुत्री रामपति पुत्री घोघादेवी निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :-

1. मंथरादेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 6 के किला नं० 18, 19, 20 किता 3 रकबा 0.759 है० नहरी
2. चतरसिंह वल्द बीरबलराम कौम जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 6 के किला नं० 21, 22, 23 की 0.759 है० मु०नं० 11 के किला नं० 2 व 3 की 0.506 है० कुल किता 5 की 1.265 है० नहरी
3. घोघा पत्नि बीरबलराम 120 हिस्सा विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप 60 हिस्सा रामकुमार वल्द बीरबलराम 20 हिस्सा कौम जाट सा० सिकरोड़ी खातेदार के पास : चक 6 बीएचडी के मु०नं० 7 के किला नं० 16, 17 की 0.506 है० किला नं० 24 व 25 की


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

0.506 है० मु०नं० 10 के किला नं० 5 व 6 की 0.506 है० मु०नं० 11 के किला नं० 1 की 0.253 है० किला नं० 8 ता 10 की 0.759 है० कुल किता 10 रकबा 2.530 है० नहरी

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.02.19... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की मुद्रा



(राजकुमार क...
उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़